

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बृहस्पतिवार, 01 जुलाई, 2010 / आषाढ़ 10, 1932 (शक)

संख्या-83

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली, जिला नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

“मुझे आपको ससम्मान यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री रमेश विधूडी, को दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 65 के तहत कानून व्यवस्था व जन शांति बनाये रखने के लिए पुलिस थाना संसद मार्ग पर दिनोंक 25.06.2010 को अपराहन 17.35 बजे नज़रबंद किया गया।

उन्हे उसी दिन अर्थात दिनोंक 25.06.2010 अपराहन 17.45 बजे रिहा कर दिया गया।”

पी.एन.मिश्रा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Wednesday 01st July 2010/ Ashadh 10, 1932(Saka)

No.83

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Addl. Commissioner of Police, New Delhi Distt., New Delhi.

“I have the honour to inform you that Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi; Shri Ramesh Bidhuri was detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from premises of Police Station Parliament Street, New Delhi at 1735 hours on 25.06.2010.

He was released at 1745 hours on the same date. ”

P.N. Mishra
Secretary